तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/1247/2006/अलवर** **सरकार बनाम भौती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम

एकल पीठ
श्री धूकलराम कसवाँ, सदस्य

उपस्थित–

श्री एस.एल.गूर्जर उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री दुर्गेशवर शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

हस्तगत रेफरेन्स राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 31–12–05 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, तिजारा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बिलासपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 620मिन,631हाल खसरा नम्बर 908 व 932 रकबा क्रमशः 0–28हेक्टर व 0–04हेक्टर गैर मुमकिन नला जमाबन्दी सम्बत 1999 में बिला नाम गैर मुमकिन नला अंकित है। उक्त आराजी गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दी गई। यह अंकन राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 16 के विपरीत है। अतः खातेदारी निरस्त योग्य है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये, रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण के खाते से कम कर राजकीय खाते में पूर्ववत गैर मुमकिन नला अंकित करने की राय के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशांषित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जिस पर हमारा लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है। मौके पर वादग्रस्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/1247/2006/अलवर** **सरकार बनाम भौती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम

आराजी पर काश्त होती चली आ रही है। रेफरेन्स काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम बिलासपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 620मिन,631हाल खसरा नम्बर 908 व 932 रकबा क्रमशः 0–28हेक्टर व 0–04हेक्टर गैर मुमकिन नला जमाबन्दी सम्बत 1999 में बिला नाम गैर मुमकिन नला अंकित है। उक्त आराजी गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दी गई। इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। अतः खातेदारी निरस्त योग्य है। गैर मुमकिन नदी की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं रहती है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमों के विपरीत अंकित की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– *All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.* उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में मण्डल को विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत रेफरेन्स अभिशंषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। फलतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 908 व 932 रकबा क्रमशः 0–28हेक्टर व 0–04हेक्टर को अप्रार्थीगण की खातेदारी से विलोपित कर राजकीय खाते में पूर्ववत किस्म गैर मुमकिन नला राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/1247/2006/अलवर** **सरकार बनाम भौती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम